उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या 01/2020/3034/92-2-20-3सी0क्यू0/2018

लखनऊ:: दिनांक:: 01 जनवरी 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू0-फैजाबाद के कार्यालय में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो की मुख्य प्राविधिक परीक्षक, एपेक्स, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास की अध्यक्षता में प्राविधिक परीक्षक (मुख्यालय) ग्राम्य विकास एवं प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास, फैजाबाद मण्डल की समिति की जांच आख्या दि0 04.01.2005 में परिलक्षित शासकीय क्षति/अनियमितता हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-97/2018/1932/92-2-18-03सी0क्यू0 /2018 दि0 27-07-2018 द्वारा श्री डी0डी0 पाठक, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू-फैजाबाद के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक(अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0विभाग, परि0-लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,परि0-लखनऊ द्वारा अपचारी अधिकारी को दि0 29-07-2019 को व्यक्तिगत/ मौखिक सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पत्र सं0-3660/ग्रा0अ0वि0/अनु0जां0/ सहा0 अभि0/19-20 दि0 06-11-2019 से जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी की जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 02 आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित होना नही बताया गया है।

2- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित, आरोप जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी पर कोई भी आरोप स्थापित न पाये जाने के दृष्टिगत श्री डी0डी0 पाठक,तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रा0अ0वि0, पीआईयू0-फैजाबाद के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 27-07-2018 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-01/2020/3034/(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ !

2-श्री डी0डी0 पाठक, तत्का0 सहा0अभि0,ग्रा0अभि0विभाग,पीआईयू0-फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in